पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 45/2018

अनवान :

1. जयवीर पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. मामकौरी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 श्री प्रभु गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही कणाऊ के खाता सं0 104/105 के खसरा सं0 560/2 की 5.931 है0 वारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता धर्मपाल के नाम से खातेदारी दर्ज है गे वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों 1/2–1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि कृषि भूमि भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 45/2018

अनवान :

1. जयवीर पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. मामकोरी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा जरिये शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा **: वादी**
वकील श्री प्रभु गोदारा **: प्रतिवादी सं0 1 ता 2**

निर्णय **दिनांक : 13-06-2018**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वाद भूमि रोही कणाऊ के खाता सं0 104/105 के खसरा सं0 560/2 की 5.931 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता धर्मपाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल, वादी का पिता है व प्रतिवादी सं0 2 मामकोरी वादी की माता है। उपर वर्णित कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता अनाराम से विरासतन मे प्राप्त हुई है।

वादभूमि तन्हा प्रतिवादी सं0 1 धर्मपाल के नाम से खातेदारी दर्ज रहने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण स0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स0 3 को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी मे जयवीर पुत्र धर्मपाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य मे सत्यफोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी चक कणाऊ खाता सं0 104/105 सम्वत्

Scanned with CamScanner

2072–75 प्रदर्श 1, फोटो प्रति जमावन्दी खतोनी ग्राम कणाऊ सम्वत् 2048 से 51 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता अनाराम से विरासतन में प्राप्त हुई है व दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कणाऊ राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जो फोटो प्रति जमावन्दी खतोनी ग्राम कणाऊ सम्वत् 2048 से 51 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा अन्ना वल्द ईशर के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना सावित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में धर्मपाल के वारिसान में पत्नी गामकोरी व एक पुत्र जयवीर होना व इसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित किया है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार केवल पुत्र पुत्रियों को ही पैत्रक भूमि में जन्म से अधिकार प्राप्त होता है। किसी भी हिन्दू महिला को उसके जीवनकाल में पति की सम्पति में कोई हक प्राप्त नहीं होता है।

हस्तगत प्रकरण में भी मामकौरी अपने पति की समति में हक प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वादी का पैत्रक सम्पति में जन्म से हक हिस्सा है जो कि सावित है। वादी वादभूमि में अपना हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है। हस्तगत प्रकरण में वादी अपने पिता धर्मपाल का इकलौता वारिस है जो कि वादभूमि में जन्म से 1/2 हिस्सा रखता है। इस प्रकार वाद वादी आंशिक तौर पर सावित है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही कणाऊ के खाता सं0 104/105 के खसरा सं0 560/2 की 5.931 है0 वारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता धर्मपाल के नाम से खातेदारी दर्ज है में वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों 1/2–1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि कृषि भूमि भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा के रहन है, इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी के नाम 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अगलदरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13-06-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner